प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 20 जुलाई, 2018

विषयः- संस्थान में स्थापित कालेज आफ मेडिकल टेक्नोलाजी के संचालन हेतु पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक पी0जी0आई0/सी0एम0टी0-19/167/2018 दिनांक 18-01-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा संस्थान में स्थापित कालेज आफ मेडिकल टेक्नोलाजी हेतु शासी निकाय द्वारा सृजित संकाय सदस्यों एवं अन्य पदों सहित कुल 13 पदों की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थान में स्थापित कालेज आफ मेडिकल टेक्नोलाजी के संचालन हेतु निम्नानुसार कुल 09 पदों को अस्थायी रूप से दिनांक 28 फरवरी, 2019 तक के लिए बशर्ते इन पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

0	पदनाम	पदों की संख्या	अपुनरीक्षित वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान
1	लेक्चरर	03	0 15600-39100, ग्रेड पे- 6600	लेवल-11 0 67700/-
2	ट्यूटर	04	0 15600-39100, ग्रेड पे- 5400	लेवल-10 0 56100/-
3	सहायक लेखाकार/डाटा इंट्री आपरेटर (ग्रुप-सी)	01	आउटसोर्सिंग के माध्यम से।	
4	आफिस अटेन्डेण्ट (अटेन्डेण्ट ग्रेड-2)	01		
	योग-	09		

3- सृजित किये जा रहे पदों पर नियुक्ति निर्धारित अर्हता/आवश्यकता एवं मानकानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक संस्थान का होगा।

4- नियमित वेतनमान के पदों पर भर्ती/नियुक्ति आदि की कार्यवाही निर्धारित व्यवस्था एवं नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0309-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1638/दस-2018, दिनांक 16 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-111/2018/2097(1)/71-2-18-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
5. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त वे0आ0-1
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0
8. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।